भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *187

जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालयों की स्थापना और कार्यकरण

***187. श्री मुरारी लाल मीना :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुल 2500 ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया था जबकि वर्तमान में केवल कुछ ग्राम न्यायालय ही कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) राजस्थान में ग्राम न्यायालयों की स्थापना और कार्यकरण की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत, स्थापित और कार्य कर रहे ग्राम न्यायालयों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या राज्य स्तर पर प्राथमिकता की कमी, वित्तीय संसाधनों की कमी, मानव संसाधनों की विशेष रूप में प्रशिक्षित न्यायाधीशों और सुलहकर्ताओं की अनुपलब्धता और इसकी उच्च प्रचालनात्मक लागत के कारण ग्राम न्यायालय योजना को वांछित स्तर पर कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) ग्राम न्यायालयों की स्थापना के मानदंड क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की स्थिति क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

'ग्राम न्यायालयों की स्थापना और कार्यकरण' से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *187, जिसका उत्तर तारीख 12.12.2025 को दिया जाना है, के संबंध में भाग (क) से भाग (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) : नागरिकों को उनके निकटतम न्याय दिलाने के लिए, केंद्रीय सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया था । इसमें मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का उपबंध है । ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3 (1) के अनुसार, राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी हैं । राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अब तक 15 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने 488 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया है, जिनमें से (तारीख 31.10.2025 तक) 11 राज्यों में 333 ग्राम न्यायालय परिचालित हैं ।

अधिसूचित और परिचालित ग्राम न्यायालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण निम्न प्रकार है :--

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अधिसूचित ग्राम न्यायालय	परिचालित ग्राम न्यायालय
1.	मध्य प्रदेश	89	89
2.	राजस्थान	45	45
3.	कर्नाटक	2	2
4.	ओडिशा	31	22
5.	महाराष्ट्र	39	26
6.	झारखंड	6	4
7.	गोवा	2	2
8.	पंजाब	9	2
9.	हरियाणा	3	2
10.	उत्तर प्रदेश	113	109
11.	केरल	30	30
12.	आंध्र प्रदेश	42	0
13.	तेलंगाना	55	0
14.	जम्मू-कश्मीर	20	0
15.	लद्दाख	2	0
कुल		**488**	**333**

(ख) : राजस्थान राज्य में, 33 जिलों में सभी 45 अधिसूचित ग्राम न्यायालय परिचालित हैं । राजस्थान राज्य में परिचालित ग्राम न्यायालयों का विवरण (जिलावार) **उपाबंध "क"** के अनुसार है ।

(ग) : राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दौसा संसदीय क्षेत्र में दो ग्राम न्यायालय, एक दौसा में और दूसरा बस्सी में, स्थापित हैं और परिचालित हैं ।

(घ) से (च) : ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, राज्य सरकारों के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना को आज्ञापक नहीं बनाता है । ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3(1) में यह आज्ञापक है कि राज्य सरकारें, अपने संबद्ध उच्च न्यायालयों से परामर्श के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए या जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है, वहां निकटवर्ती ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक या अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकेगी ।

अध्ययनों से पता चला है कि राज्यों द्वारा अपेक्षित संख्या में ग्राम न्यायालय स्थापित करने में उत्साह की कमी के पीछे कई कारण हैं, जैसे, न्यायाधिकारियों के पदों का न भरा जाना, लोक अभियोजकों, नोटरी की अनुपलब्धता और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों की सामान्य कमी, अपर्याप्त कर्मचारिवृंद, ग्राम न्यायालयों का सीमित क्षेत्राधिकार, राज्यों से अपर्याप्त वित्तीय सहायता, विधिक और राज्य अधिकारियों की अनिच्छा और सामुदायिक जागरूकता की कमी । सरकार, नियमित पत्राचार और केंद्रीय स्तर की निगरानी समिति की बैठकों के दौरान राज्य प्राधिकारियों से पहले से अधिसूचित ग्राम न्यायालयों को जल्द से जल्द परिचालित करने का अनुरोध करती है ।

स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय सरकार ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए गैर-आवर्ती व्ययों के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को एक बार की सहायता प्रदान करती है, जो इनके परिचालित होने के पश्चात् प्रति ग्राम न्यायालय 18 लाख रुपये की सीमा के अधीन है । केंद्रीय सरकार इन ग्राम न्यायालयों के परिचालन के लिए आवर्ती व्ययों के लिए भी सहायता प्रदान करती है, जो पहले तीन वर्षों के लिए प्रति ग्राम न्यायालय प्रति वर्ष 3.20 लाख रुपये की सीमा के अधीन है ।

******

उपाबंध-"क"

'ग्राम न्यायालयों की स्थापना और कार्यकरण' से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *187, जिसका उत्तर तारीख 12.12.2025 को दिया जाना है, के संबंध में भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

राजस्थान राज्य में परिचालित ग्राम न्यायालयों की जिलावार सूची

क्र.सं.	**जिला**	**ग्राम न्यायालय की अवस्थिति**
1	अजमेर	पीसांगन
2	अलवर	तिजारा, नीमराना
3	बाड़मेर	बाड़मेर
4	बारां	अटरू
5	बांसवाड़ा	तलवाड़ा, गढ़ी
6	भरतपुर	रूपवास, कामा
7	भीलवाड़ा	मंडल, सुवाना
8	बीकानेर	बीकानेर, कोलायता
9	बूंदी	तलेरा
10	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़, भदेसर
11	चुरू	राजगढ़
12	दौसा	दौसा
13	धौलपुर	बसेड़ी
14	डूंगरपुर	आसपुर, बिछीवाड़ा
15	गंगानगर	श्रीगंगानगर, अनूपगढ़
16	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
17	जयपुर	सांभर, बस्सी
18	जालौर	सांचोर
19	जैसलमेर	सांकरा
20	झालावाड़	झालरापाटन
21	झुंझुनूं	नवलगढ़
22	जोधपुर	मंडोर, ओसियां
23	करौली	हिंडौन
24	कोटा	खेराबाद, इटावा
25	नागौर	जायल
26	पाली	रायपुर
27	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
28	राजसमंद	रेलमगरा
29	एस.माधोपुर	गंगापुरसिटी
30	सीकर	कुडली
31	सिरोही	पिंडवाड़ा
32	टोंक	देवली
33	उदयपुर	उदयपुर, गिरवा

****